



समकक्ष :- माननीय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वा लियर केम्प सागर म०प्र०

श्रीमति शर्मा सागराशु श. 2017/3191

- (१) मूलवन्द आयु लगभग ६२ वर्ष
- (२) स्नेह आयु लगभग ५० वर्ष
- (३) कमल आयु लगभग ४८ वर्ष

सभी बल्ब कुत्राल ग्वाल

साकिन- ग्राम म्पुगिया तहसील वा जिला सागर (म०प्र०)

-- अपीलार्थीगण । आवेदकगण ।
पुनरीक्षाण अर्थागण

॥ विरुद्ध ॥

- (१) रामभरोस बल्द गनेश

निवासी- ग्राम जारोन जिला गुना (म०प्र०)

- (२) म०प्र० शासन

-- प्रतिजपीगण । अनागण ।

उत्तर दाता गण

प्रस्तुत दिनांक

रा०पुनरीक्षाणकं

पुनरीक्षाण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० मु० राजस्व संहिता १९५६

आवेदकगण की और से निम्नलिखित प्रार्थना है :-
पुनरीक्षाण का संदिप्त विवाण

उपरोक्त पुनरीक्षाण न्याया० श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सागर के राजस्व अपीलार्थीय प्रकरण क्रमांक १२४-आ६ वर्ष २०१५-०१६ नाम पदार्थ- मूलवन्द यादव वगैरह विरुद्ध रामभरोस बल्द गनेश यादव + १ अन्य में धारा ३२ एवं धारा ५ न्याय अद्विनियम पा पारित आदेश दिनांक १४-७-०१७ के आदेश से परिवेदित होकर निम्नलिखित कृत्यात्मक एवं विविपरक तथ्यों के आधार पर निम्न न्याया० का अ मिलेक मंगाये जाकर निम्न न्याया० द्वारा की गई अनियमितता में हस्तक्षेप किया जाकर एक नवीन आदेश पारित किये जाने हेतु पुनरीक्षाण प्रस्तुत है ।

प्रार्थना के तथ्य

मि अर्ध
सुपु दिने
यु० र
२०/११/१७

B.O.R.

0-1 AUG 2017

श्री राजेश कुमार सेन, अधिकारी
... सागर द्वारा प्रस्तुत.
सागर (म. प्र.)
कार्यालय कानिस्तर, सागर संभाग,
राज्य

176
28/08/17

राजेश कुमार सेन



सुरेश कुमार सेन

हस्ताक्षर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / सागर / भू.रा. / 2017 / 3191

मूलचन्द आदि विरुद्ध रामभरोस व मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर, जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक 124/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 14-07-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 30-10-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>	